भारत का राजपत्र

सी.जी.-डी.एल.-अ.-20092020-221843

असाधारण भाग II — खण्ड 1 प्राधिकार से प्रकाशित

सं. 38] नई दिल्ली, रविवार, सितम्बर 20, 2020/भाद्र 29, 1942 (शक)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

विधि और न्याय मंत्रालय

(विधाई विभाग)

नई दिल्ली, 20 सितम्बर, 2020/भाद्र 29, 1942 (शक)

संसद का निम्नलिखित अधिनियम 19 सितम्बर, 2020 को राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त हुई और इसके द्वारा सामान्य जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है:–

विमान (संशोधन) अधिनियम, 2020

सं. 13 वर्ष 2020

[19 सितम्बर, 2020.]

विमान अधिनियम, 1934 का और संशोधन करने के लिए अधिनियम।

भारत गणराज्य के इकहत्तरवें वर्ष में संसद द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:–

1. **संक्षिप्त नाम।**—इस अधिनियम का नाम विमान (संशोधन) अधिनियम, 2020 है।
2. **धारा 2 का संशोधन।**—विमान अधिनियम, 1934 (जिसे इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम कहा गया है) की धारा 2 में,—
    - *(क)* खंड *(1)* के पश्चात्, निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:–

        '(1क) "विमान दुर्घटना जांच ब्यूरो" से धारा 4ग के अधीन गठित विमान दुर्घटना जांच ब्यूरो अभिप्रेत है;';

    - *(ख)* खंड *(2क)* के पश्चात्, निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किए जाएंगे, अर्थात्:–

        '(2ख) "नागर विमानन सुरक्षा ब्यूरो" से धारा 4ख के अधीन गठित नागर विमानन सुरक्षा ब्यूरो अभिप्रेत है;

(2ग) "नागर विमानन महानिदेशालय" से धारा 4क के अधीन गठित नागर विमानन महानिदेशालय अभिप्रेत है।'।

3. मूल अधिनियम की धारा 4क के स्थान पर, निम्नलिखित धाराएं प्रतिस्थापित की जाएंगी, अर्थात्:–

"4क. (1) केन्द्रीय सरकार, एक निकाय का गठन कर सकेगी जिसे नागर विमानन महानिदेशालय के रूप में जाना जाएगा, जिसका मुखिया ऐसा अधिकारी होगा जिसे केन्द्रीय सरकार द्वारा आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचना द्वारा इस निमित्त नियुक्त किए जाने के लिए नागर विमानन महानिदेशक के रूप में नामित किया जाएगा।

(2) नागर विमानन महानिदेशालय इस अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों में विनिर्दिष्ट मामलों के संबंध में सुरक्षा निगरानी और विनियामक कृत्यों का निर्वहन करने के लिए उत्तरदायी होगा।

(3) नागर विमानन महानिदेशालय का प्रशासन नागर विमानन महानिदेशक में निहित होगा।

(4) केन्द्रीय सरकार, आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा, यह निर्देश दे सकेगी कि नागर विमानन महानिदेशक द्वारा प्रयोग की जाने वाली कोई भी शक्ति केन्द्रीय सरकार द्वारा इस निमित्त विशेष रूप से सशक्त किसी अन्य अधिकारी या प्राधिकारी द्वारा भी प्रयोग की जा सकेगी।

4ख. (1) केन्द्रीय सरकार, एक निकाय का गठन कर सकेगी जिसे नागर विमानन सुरक्षा ब्यूरो के रूप में जाना जाएगा, जिसका मुखिया ऐसा अधिकारी होगा जिसे केन्द्रीय सरकार द्वारा आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचना द्वारा इस निमित्त नियुक्त किए जाने के लिए नागर विमानन सुरक्षा ब्यूरो के महानिदेशक के रूप में नामित किया जाएगा।

(2) नागर विमानन सुरक्षा ब्यूरो इस अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों में विनिर्दिष्ट नागर विमानन सुरक्षा से संबंधित मामलों के संबंध में विनियामक और निगरानी कृत्यों का निर्वहन करने के लिए उत्तरदायी होगा।

(3) नागर विमानन सुरक्षा ब्यूरो का प्रशासन नागर विमानन सुरक्षा ब्यूरो के महानिदेशक में निहित होगा।

(4) केन्द्रीय सरकार, आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा, यह निर्देश दे सकेगी कि नागर विमानन सुरक्षा ब्यूरो के महानिदेशक द्वारा प्रयोग की जाने वाली कोई भी शक्ति केन्द्रीय सरकार द्वारा इस निमित्त विशेष रूप से सशक्त किसी अन्य अधिकारी या प्राधिकारी द्वारा भी प्रयोग की जा सकेगी।

4ग. (1) केन्द्रीय सरकार, एक निकाय का गठन कर सकेगी जिसे विमान दुर्घटना जांच ब्यूरो के रूप में जाना जाएगा, जिसका मुखिया ऐसा अधिकारी होगा जिसे केन्द्रीय सरकार द्वारा आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचना द्वारा इस निमित्त नियुक्त किए जाने के लिए विमान दुर्घटना जांच ब्यूरो के महानिदेशक के रूप में नामित किया जाएगा।

(2) विमान दुर्घटना जांच ब्यूरो इस अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों में विनिर्दिष्ट विमान दुर्घटनाओं या घटनाओं की जांच से संबंधित मामलों के संबंध में कृत्यों का निर्वहन करने के लिए उत्तरदायी होगा।

(3) विमान दुर्घटना जांच ब्यूरो का प्रशासन विमान दुर्घटना जांच ब्यूरो के महानिदेशक में निहित होगा।

(4) केन्द्रीय सरकार, आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा, यह निर्देश दे सकेगी कि विमान दुर्घटना जांच ब्यूरो के महानिदेशक द्वारा प्रयोग की जाने वाली कोई भी शक्ति केन्द्रीय सरकार द्वारा इस निमित्त विशेष रूप से सशक्त किसी अन्य अधिकारी या प्राधिकारी द्वारा भी प्रयोग की जा सकेगी।

4घ. नागर विमानन महानिदेशालय, नागर विमानन सुरक्षा ब्यूरो और विमान दुर्घटना जांच ब्यूरो का अधीक्षण केन्द्रीय सरकार में निहित होगा, जिसे लोक हित में ऐसा करना आवश्यक और समीचीन प्रतीत होने पर, क्रमशः धारा 4क, 4ख और 4ग की उप-धारा (2) के अंतर्गत आने वाले किसी भी मामले पर इनमें से प्रत्येक संगठन को निर्देश जारी करने की शक्ति होगी।"।

4. मूल अधिनियम की धारा 5 की उप-धारा (2) में,—
   - *(i)* खंड *(gc)* के पश्चात्, निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:–

     '(gd) वायु नेविगेशन सेवाओं का विनियमन, अर्थात् विमानन सूचना सेवाएं, विमानन चार्टिंग और मानचित्रण सेवाएं, विमानन मौसम विज्ञान सेवाएं, खोज और बचाव सेवाएं, वायु नेविगेशन सेवाओं के लिए प्रक्रिया और खंड *(gb)* में निर्दिष्ट से भिन्न विमान संचालन और वायु नेविगेशन सेवाओं से संबंधित कोई अन्य मामला;';

   - *(ii)* खंड *(qq)* को उसका खंड *(qa)* के रूप में पुनरक्षरांकित किया जाएगा और इस प्रकार पुनरक्षरांकित खंड *(qa)* में, अंत में आने वाले शब्द "और" का लोप किया जाएगा;
   - *(iii)* खंड *(qa)* के पश्चात्, निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किए जाएंगे, अर्थात्:–

     '(qb) सुरक्षा निगरानी और विनियामक कृत्य; *(qc)* नागर विमानन सुरक्षा से संबंधित मामलों के संबंध में विनियामक और निगरानी कृत्य; और'।

5. मूल अधिनियम की धारा 5क में,—
   - *(i)* उप-धारा *(1)* में, कोष्ठकों, अक्षरों और शब्द "(gc), (h), (i), (m) and (qq)" के स्थान पर, कोष्ठकों, अक्षरों और शब्द "(gc), (gd), (h), (i), (m), (qa) and (qb)" प्रतिस्थापित किए जाएंगे;
   - *(ii)* उप-धारा *(1)* के पश्चात्, निम्नलिखित उप-धाराएं अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात्:–

     '(1क) नागर विमानन सुरक्षा ब्यूरो का महानिदेशक या केन्द्रीय सरकार द्वारा इस निमित्त विशेष रूप से सशक्त कोई अन्य अधिकारी, इस अधिनियम के उपबंधों और उसके अधीन बनाए गए नियमों से संगत, धारा 5 की उप-धारा (2) के खंड *(e)*, *(f)*, *(gc)* और *(qc)* में विनिर्दिष्ट किसी भी मामले के संबंध में,

किसी विमानक्षेत्र का उपयोग करने वाले या विमान संचालन, एयर ट्रैफ़िक कंट्रोल, विमानक्षेत्र के रखरखाव और संचालन, या विध्वंसकारी कृत्यों के विरुद्ध नागर विमानन के संरक्षण में लगे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को, समय-समय पर, आदेश द्वारा, निर्देश जारी कर सकेगा, ऐसे किसी भी मामले में जहाँ नागर विमानन सुरक्षा ब्यूरो का महानिदेशक या ऐसा अन्य अधिकारी इस बात से संतुष्ट है कि भारत की सुरक्षा के हित में या नागर विमानन संचालन की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए ऐसा करना आवश्यक है। *(1ख)* लोक हित में ऐसा करना आवश्यक और समीचीन प्रतीत होने पर, किसी व्यक्ति के अभ्यावेदन पर या अन्यथा प्राप्ति पर, केन्द्रीय सरकार उप-धारा *(1)* या उप-धारा *(1क)* के अधीन पारित किसी आदेश का पुनर्विलोकन कर सकेगी और ऐसे आदेश को रद्द करने या संशोधित करने के लिए, यथास्थिति, नागर विमानन महानिदेशक या नागर विमानन सुरक्षा ब्यूरो के महानिदेशक को निर्देश जारी कर सकेगी।';

- *(iii)* उप-धारा *(2)* में, शब्द, कोष्ठक और अंक "उप-धारा *(1)*" के पश्चात्, शब्द, कोष्ठक, अंक और अक्षर "या उप-धारा *(1क)* या उप-धारा *(1ख)* " अंतःस्थापित किए जाएंगे।

6. मूल अधिनियम की धारा 10 की उप-धारा *(1क)* में,—
   - *(i)* शब्द, कोष्ठक और अक्षरों "खंड *(qq)*" के स्थान पर, शब्द, कोष्ठक और अक्षरों "खंड *(qa)*" को प्रतिस्थापित किया जाएगा;
   - *(ii)* जहाँ कहीं भी शब्द "दस लाख रुपये" आते हैं, उनके स्थान पर शब्द "एक करोड़ रुपये" प्रतिस्थापित किए जाएंगे।
7. मूल अधिनियम की धारा 10 के पश्चात्, निम्नलिखित धाराएं अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात्:–

"10क. (1) धारा 10 की उप-धारा (2) में किसी बात के होते हुए भी, केन्द्रीय सरकार, धारा 4, 5, 7, 8, 8क या 8ख के अधीन कोई नियम बनाते समय, ऐसी किसी नियम के उल्लंघन के लिए, जिसके लिए अधिनियम में या उसके अधीन बनाए गए नियमों में अन्यत्र कोई दण्ड उपबंधित नहीं है, एक करोड़ रुपये से अधिक न होने वाले जुर्माने के अधिरोपण का उपबंध कर सकेगी।

(2) केन्द्रीय सरकार, आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा, भारत सरकार के उप सचिव या समतुल्य रैंक से नीचे के अधिकारियों की ऐसी संख्या को, जैसा वह आवश्यक समझे, उप-धारा *(1)* के अधीन जुर्माने का न्यायनिर्णयन करने के लिए, ऐसे रीति से, जिसे केन्द्रीय सरकार आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियम बनाए, नामोद्दिष्ट अधिकारी के रूप में नियुक्त कर सकेगी।

(3) केन्द्रीय सरकार, उप-धारा *(2)* के अधीन नामोद्दिष्ट अधिकारियों की नियुक्ति करते समय, उस आदेश में उनकी अधिकारिता भी विनिर्दिष्ट करेगी।

(4) जहाँ नामोद्दिष्ट अधिकारी इस बात से संतुष्ट है कि किसी व्यक्ति द्वारा नियमों के उपबंधों का कोई उल्लंघन किया गया है, वह ऐसे व्यक्ति को लिखित में आदेश द्वारा, उल्लंघन की प्रकृति, नियमों के उस उपबंध का, जिसका उल्लंघन किया गया है, और ऐसे जुर्माने के अधिरोपण के कारणों को बताते हुए, जुर्माना लगा सकेगा:

परन्तु नामोद्दिष्ट अधिकारी, कोई भी जुर्माना लगाने से पूर्व, ऐसे व्यक्ति को सुनवाई का उचित अवसर देगा।

(5) उप–धारा *(4)* के अधीन किए गए आदेश से व्यथित कोई व्यक्ति, उस मामले में अधिकारिता रखने वाले अपीलीय अधिकारी को, जो आदेश पारित करने वाले नामोद्दिष्ट अधिकारी की तुलना में रैंक में ठीक अगला उच्च अधिकारी है, अपीलprefer कर सकेगा।

(6) उप–धारा *(5)* के अधीन प्रत्येक अपील, उस तारीख से, जिसको नामोद्दिष्ट अधिकारी द्वारा किए गए आदेश की प्रति व्यथित व्यक्ति को प्राप्त होती है, तीस दिन के भीतर फाइल की जाएगी और ऐसे रूप और रीति में होगी, और ऐसी फीस के साथ होगी, जैसा कि केन्द्रीय सरकार आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियम बनाए।

(7) अपीलीय अधिकारी, अपील के पक्षों को सुनवाई का अवसर देने के पश्चात्, अपील किए गए आदेश की पुष्टि करते हुए, उसे संशोधित करते हुए या अपास्त करते हुए, ऐसा आदेश पारित कर सकेगा जैसा वह ठीक समझे।

10ख. इस अधिनियम में किसी बात के होते हुए भी, यदि कोई व्यक्ति इस अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों के किसी उपबंध का उल्लंघन करता है, तो इस अधिनियम के अधीन ऐसे व्यक्ति को जारी किया गया लाइसेंस, प्रमाण पत्र या अनुमोदन ऐसी रीति से, जैसा केन्द्रीय सरकार आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियम बनाए, निलंबित या रद्द किया जा सकेगा।"।

8. मूल अधिनियम की धारा 11 में, शब्दों "दस लाख रुपये" के स्थान पर, शब्द "एक करोड़ रुपये" प्रतिस्थापित किए जाएंगे।
9. मूल अधिनियम की धारा 11क में, शब्दों "दस लाख रुपये" के स्थान पर, शब्द "एक करोड़ रुपये" प्रतिस्थापित किए जाएंगे।
10. मूल अधिनियम की धारा 11ख की उप–धारा *(1)* में, शब्दों "दस लाख रुपये" के स्थान पर, शब्द "एक करोड़ रुपये" प्रतिस्थापित किए जाएंगे।
11. मूल अधिनियम की धारा 12 के पश्चात्, निम्नलिखित धाराएं अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात्:–

"12क. (1) आपराधिक प्रक्रिया संहिता, 1973 में किसी बात के होते हुए भी, धारा 10, 11, 11क, 11ख और धारा 12 के अधीन या उसके अधीन बनाए गए किसी नियम के अधीन दण्डनीय कोई भी अपराध, किसी अभियोजन के संस्थित किए जाने से पहले या उसके पश्चात्, नागर विमानन महानिदेशक या नागर विमानन सुरक्षा ब्यूरो के महानिदेशक या विमान दुर्घटना जांच ब्यूरो के महानिदेशक द्वारा, यथास्थिति, ऐसी रीति से, जैसा केन्द्रीय सरकार आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियम बनाए, शमनीयकिया जा सकेगा।"।

(2) उप–धारा (1) की कोई भी बात ऐसे अपराध पर लागू नहीं होगी जो किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा पहले अपराध के शमन किए जाने की तारीख या उस व्यक्ति को पहले जहाँ सिद्धदोष ठहराया गया था, से पांच वर्ष की अवधि के भीतर दूसरी बार या उसके पश्चात् किया गया हो।

(3) उप-धारा (1) में निर्दिष्ट प्रत्येक अधिकारी, केन्द्रीय सरकार के निदेश, नियंत्रण और अधीक्षण के अधीन रहते हुए, किसी अपराध का शमन करने की शक्तियों का प्रयोग करेगा।

(4) किसी अपराध के शमन के लिए प्रत्येक आवेदन ऐसी रीति से किया जाएगा जैसा कि केन्द्रीय सरकार, आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, नियम बनाए।

(5) जहाँ किसी अभियोजन के संस्थित किए जाने से पहले किसी अपराध का शमन कर दिया जाता है, वहाँ उप-धारा (1) में निर्दिष्ट किसी अधिकारी द्वारा उस अपराधी के संबंध में, जिसके संबंध में अपराध का इस प्रकार शमन किया जाता है, ऐसे अपराध के संबंध में कोई अभियोजन संस्थित नहीं किया जाएगा।

(6) जहाँ किसी अपराध का शमन किसी अभियोजन के संस्थित किए जाने के पश्चात् किया जाता है, वहाँ ऐसे शमन की बात, उप-धारा (1) में निर्दिष्ट अधिकारी द्वारा लिखित रूप में उस न्यायालय की जानकारी में लाई जाएगी जिसमें अभियोजन लंबित है, और अपराध के शमन की ऐसी सूचना दिए जाने पर, वह व्यक्ति जिसके विरुद्ध अपराध का इस प्रकार शमन किया गया है, उन्मोचित कर दिया जाएगा।

(7) इस धारा के अधीन किसी अपराध का शमन, उस अभियुक्त व्यक्ति के, जिसके साथ अपराध का शमन किया गया है, दोषमुक्ति का प्रभाव रखेगा।

(8) उप-धारा (1) में विनिर्दिष्ट किसी भी अपराध का शमन इस धारा में उपबंधित के सिवाय नहीं किया जाएगा।

12ख. (1) इस अधिनियम के अधीन दण्डनीय किसी भी न्यायालय द्वारा किसी भी अपराध का संज्ञान, नागर विमानन महानिदेशक या नागर विमानन सुरक्षा ब्यूरो के महानिदेशक या विमान दुर्घटना जांच ब्यूरो के महानिदेशक, यथास्थिति, द्वारा या उनकी पूर्व लिखित मंजूरी से किए गए परिवाद पर ही किया जाएगा, अन्यथा नहीं।

(2) उप-धारा (1) में निर्दिष्ट परिवाद, उस तारीख से, जिसको अपराध नागर विमानन महानिदेशक या नागर विमानन सुरक्षा ब्यूरो के महानिदेशक या विमान दुर्घटना जांच ब्यूरो के महानिदेशक, यथास्थिति, के ज्ञान में आया, एक वर्ष की अवधि के भीतर किया जाएगा।

(3) आपराधिक प्रक्रिया संहिता, 1973 में किसी बात के होते हुए भी, महानगर मजिस्ट्रेट या प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट के न्यायालय से निम्नतर कोई भी न्यायालय इस अधिनियम के अधीन अपराधों का विचारण नहीं करेगा।"

12. **मूल अधिनियम की धारा 19 का संशोधन।**—मूल अधिनियम की धारा 19 की उप-धारा (1) में,—

- *(क)* "संघ के सशस्त्र बलों" शब्दों के पश्चात्, "या तत्समय प्रवृत्त किसी विधि द्वारा गठित संघ के अन्य सशस्त्र बलों" शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे;
- *(ख)* निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

"परंतु संघ के नौसेना, सैन्य या वायु सेना से भिन्न संघ के किसी सशस्त्र बल से संबंधित कोई भी विमान, जिसके लिए इस अधिनियम के उपबंध और उसके अधीन बनाए गए नियम विमान (संशोधन) अधिनियम, 2020 के प्रारंभ की तारीख को लागू हैं, तब तक इस अधिनियम और उसके अधीन बनाए गए नियमों द्वारा शासित होते रहेंगे जब तक कि केन्द्रीय सरकार, आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, विनिर्दिष्ट न करे।"।

13. **विद्यमान प्राधिकारियों के संबंध में संक्रमणकालीन उपबंध।**—मूल अधिनियम के उपबंधों या उसके अधीन बनाए गए नियमों के अनुसरण में स्थापित किसी प्राधिकारी द्वारा, इस अधिनियम के प्रारंभ की तारीख से पहले, की गई कोई बात, या लिया गया कोई कार्रवाई या निर्णय, या जारी किया गया कोई आदेश या निर्देश, जहाँ तक ऐसा कोई कार्रवाई या निर्णय या निर्देश नागर विमानन महानिदेशालय या नागर विमानन सुरक्षा ब्यूरो या विमान दुर्घटना जांच ब्यूरो, यथास्थिति, के कृत्यों से संबंधित है, इस अधिनियम की क्रमशः धारा 4क, 4ख और 4ग के अधीन गठित नागर विमानन महानिदेशालय या नागर विमानन सुरक्षा ब्यूरो या विमान दुर्घटना जांच ब्यूरो, यथास्थिति, द्वारा किया गया या लिया गया या जारी किया गया समझा जाएगा।

डॉ. जी. नारायण राजू

भारत सरकार के सचिव